संख्या-10/2019 /216/38-6-19-6(एसआरएलएम)/2014टीसी

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक-28 मार्च, 2019

विषय:- डीडीयू-जीकेवाई के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-81 के अन्तगर्त अनुपूरक बजट से अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पत्रांक-4683/ जीविका/लेखा/2018-19, दि0-11.02.2019 एवं पत्रांक-6030/1109/एनआरएलएम/2018-19 दि0-14.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक-जे-1703/57/2013एसजीएसवाई द्वितीय(एस.पी.) पार्ट-1(5/सी), दि0-30.05.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत(एनआरएलएम) अनुदान सं0-81(एससीएसटी मद) में अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि रू0-583.38 लाख (रूपये पांच करोड तिरासी लाख अड्तीस हजार मात्र) के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 388.92लाख (रूपये तीन करोड अटठासी लाख बानवे हजार मात्र) अवमुक्त की जानी है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु अनुदान सं0-81 के अन्तर्गत रू0-25203.84 लाखअनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र दि0-20.08.2018 द्वारा फण्डिंग पैटर्न 90:10 के स्थान पर 60:40 संशोधित कर दिया गया है। इस प्रकार केन्द्रांश के रूप में 60 प्रतिशत रू0-583.38 लाख के सापेक्ष राज्यांश के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू0-388.92 लाख बनती है।

2- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपूरक बजट व्यवस्था में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भारत सरकार के पत्र दि0-30.05.2018 के माध्यम से अवमुक्त केन्द्रांश रू0-583.38 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि रूपये 388.92लाख (रूपये तीन करोड अटठासी लाख बानवे हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) आंकडों की शुद्धता का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(2) धनराशि काआहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशानिर्देश तथा राज्य सरकार के सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को गाइड लाइन में निर्धारित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि से यथा अवश्यकता सामाग्री/उपकरण आदि के क्रय हेतु सामाग्री क्रय सम्बन्धी संगत शासनादेशों में निधारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(7) योजनाओं हेतु प्राविधान धनराशि को स्वीकृत कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।

(8) भारत सरकार के पत्र दिनांक 30.05.2018 व अन्य में अंकित दिशानिर्देशों/शर्तों का पूर्णत अनुपालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञात सं0-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018 दि0-30.03.2018 एवं सम्बधित अन्य संगत शासनादेशों की शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहराण/व्यय के दौरान प्रभावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, सुनिश्चित किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास/मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01-समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-796-जनजातिय उपक्षेत्र योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-(के.60/रा.40-के.+रा.)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय सं0-यू0ओ0-ई-2-272/दस-2019, दि0-28-03-2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

सख्या-10/2019/216 (1)/38-6-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय (स्किल डिवीजन), नई दिल्ली।
4- निदेशक, कोषागार/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6- मिशन निदेशक, यूपीएसआरएलएम, गोमती नगर, लखनऊ।
7- अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
दिनेश चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।